

विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	1
ख	वर्गीकरण	1
ग	पूर्व अनुदेश	1
घ	प्रयोज्यता	1
1.	प्रस्तावना	2
2.	दिशानिर्देश	2
2.1	एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र	2
2.1.1	उच्चतम सीमाएं	2
2.1.2	छूट	3
2.1.3	परिभाषाएं	4
2.1.4	समीक्षा	7
2.2	उद्योग या कठिपय क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र	7
2.2.1	आंतरिक एक्सपोज़र सीमाएं	7
2.2.2	पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोज़र	9
2.2.3	विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज) में एक्सपोज़र	9
2.3	पूंजी बाजार में बैंकों के एक्सपोज़र	11
2.3.1	पूंजी बाजार एक्सपोज़र (सीएमई) के घटक	11
2.3.2	पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर सीमाएं	12
2.3.3	निवल मालियत की परिभाषा	13
2.3.4	पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल न की गई मद्दें	13
2.3.5	एक्सपोज़र की गणना	14
2.3.6	एक दिन के भीतर किए गए एक्सपोज़र	14
2.3.7	सीमाओं में वृद्धि	14
2.4	ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश	15
2.4.1	शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	15
2.4.2	प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का वित्तपोषण	15
2.4.3	कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक वित्त	15
2.4.4	शेयर दलालों (स्टॉक ब्रोकर) और मार्केट मेकरों को शेयरों की जमानत पर अग्रिम	16
2.4.5	संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) हिताधिकारी के शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंक का वित्तपोषण	16
2.4.6	म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम	16
2.4.7	शेयरोंडिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अन्य उधारकर्ताओं को	17

	अग्रिम	
2.4.8	प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण	17
2.4.9	तात्कालिक ऋण (ब्रिज लोन)	17
2.4.10	उद्यम पूँजी निधि में बैंकों का निवेश	18
2.4.11	शेयरों/गारंटियां जारी करने की जमानत पर अग्रिमों पर मार्जिन	18
2.4.12	भारत सरकार का विनिवेश कार्यक्रम	18
2.4.13	क. विदेशी कंपनियों में ईक्विटी के अधिग्रहण के लिए वित्त प्रदान करना ख. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक) की पुनर्वित्त योजना	19
2.4.14	आबिट्रेज आपरेशंस	19
2.4.15	मार्जिन ट्रेडिंग	19
2.5	जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली	20
2.5.1	निवेश नीति	20
2.5.2	निवेश समिति	20
2.5.3	जोखिम प्रबंधन	20
2.5.4	लेखा-परीक्षा समिति	21
2.6	मूल्यांकन और प्रकटीकरण	21
2.7	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूँजी धारिता	21
2.8	मार्जिन अपेक्षाएं	22
क	पण्य बाजारों में बैंक का एक्सपोज़र	22
ख	करेसी डेरिवेटिव क्षेत्र के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र	22
2.9	गैर जमानती गारंटियों और गैर जमानती अग्रिमों में एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं	23
2.10	शेयरों डिबेचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए 'सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं	23
2.10.1	'सुरक्षा तंत्र' योजनाएं	23
2.10.2	पुनः क्रय सुविधाओं का प्रावधान	24
अनुबंध 1	मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची	25
अनुबंध 2	अखिल भारतीय वित्तीय कंपनियों के बांडों की गारंटी देने वाली संस्थाओं की सूची	26
अनुबंध 3	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूँजी बाजार एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा से छूट है	27
अनुबंध 4	समेकित परिपत्रों की सूची	28

ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) मानदंडों पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

इस मास्टर परिपत्र में एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण एक्सपोज़र सीमाओं तथा किसी विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्रों में ऋण एक्सपोज़र तथा बैंकों के पूँजी बाजार एक्सपोज़रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी नियमों / विनियमों / अनुदेशों का संग्रह किया गया है।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिजर्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश।

ग. पूर्व अनुदेश

इस मास्टर परिपत्र में **अनुबंध 4** में सूचीबद्ध परिपत्रों में उपर्युक्त विषय पर निहित अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

संरचना

1. प्रस्तावना

2. दिशानिर्देश

- 2.1 एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र
- 2.2 उद्योग और कतिपय क्षेत्रों को ऋण एक्सपोज़र
- 2.3 पूँजी बाजार में बैंकों के एक्सपोज़र - मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना
- 2.4 ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश
- 2.5 जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
- 2.6 मूल्यांकन और प्रकटीकरण
- 2.7 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूँजी धारिता
- 2.8 पण्य बाजारों में बैंकों का एक्सपोज़र - मार्जिन अपेक्षाएं
- 2.9 गैर जमानती गारंटियों और गैर जमानती अग्रिमों में एक्सपोज़र संबंधी सीमाएं
- 2.10 शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए 'सुरक्षा-तंत्र' योजनाएं

3 अनुबंध

- अनुबंध 1 मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची
- अनुबंध 2 कार्पोरेट बांडों की गारंटी देने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची
- अनुबंध 3 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची जिनके लिखतों को पूँजी बाजार
- अनुबंध 4 एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा से छूट है समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

बेहतर जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में और ऋण जोखिमों को संकेतित न होने देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग या क्षेत्रों के प्रति एक्सपोज़र की सीमा नियत कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में एकल उधारकर्ताओं और सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोज़र के संबंध में विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं। इसके अलावा बैंकों से अपेक्षित है कि वे शेयरों परिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिमों /उनमें निवेश के संबंध में तथा जोखिम पूँजी निधियों में सभी एक्सपोज़रों के संबंध में कतिपय सांविधिक और विनियामक एक्सपोज़र सीमाओं का पालन करें। बैंकों को एक्सपोज़र मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2. दिशानिर्देश

2.1 एकल / सामूहिक उधारकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र

2.1.1 उच्चतम सीमाएं

2.1.1.1 एक्सपोज़र संबंधी उच्चतम सीमाएं, एकल उधारकर्ता के मामले में पूँजीगत निधि का 15 प्रतिशत तथा सामूहिक उधारकर्ता के मामले में 40 प्रतिशत होंगी। इस प्रयोजन से पूँजीगत निधियों में पूँजी पर्याप्तता मानकों के अंतर्गत परिभाषित किए गए अनुसार टीयर I तथा टीयर II पूँजी शामिल होंगी (कृपया इस मास्टर परिपत्र का पैरा 2.3.5 भी देखें)।

2.1.1.2 एकल ऋणकर्ता के प्रति ऋण एक्सपोज़र की सीमा को बैंक की पूँजीगत निधियों के 15 प्रतिशत के मानदंड से 5 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 20 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं के लिए दिया जा रहा हो। सामूहिक ऋणकर्ताओं के प्रति ऋण एक्सपोज़र सीमा को बैंक की पूँजीगत निधियों के 40 प्रतिशत के मानदंड से 10 प्रतिशत अधिक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते अतिरिक्त ऋण एक्सपोज़र मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए दिया जा रहा हो। मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा तथा मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गयी मदों की सूची अनुबंध I में दी गयी है।

2.1.1.3 ऊपर पैरा 2.1.1.1 तथा 2.1.1.2 में अनुमत एक्सपोज़र के अलावा, बैंक आपवादिक परिस्थितियों में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता (एकल तथा सामूहिक) को अपनी पूँजीगत निधियों के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते बैंकों द्वारा अपने वार्षिक रिपोर्टों में उचित प्रकटन करने के लिए उधारकर्ता की सहमति हो।

2.1.1.4 भारत सरकार द्वारा जिन तेल कंपनियों को तेल बांड (जिनका एसएलआर दर्जा नहीं है) जारी किए गए हैं केवल उनके मामले में 29 मई 2008 से एकल

उधारकर्ता के संबंध में एक्सपोजर सीमा को पूंजीगत निधियों के पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.1.1.3 के अनुसार पहले की तरह ही अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक तेल कंपनियों में एक्सपोजर को पूंजीगत निधियों के और 5 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

2.1.1.5 बैंकों का किसी वर्ष के दौरान एक्सपोजर के विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा से अधीक एक्सपोजर होने की स्थिति में उन्हें चाहिए कि वे वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न ‘लेखा संबंधी टिप्पणी’ में उपयुक्त सूचना दें।

2.1.1.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के प्रति एक्सपोजर

बैंक का एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी (परिसंपत्ति वित्तपोषण कंपनी) में एक्सपोजर (तुलन पत्रेतर एक्सपोजर सहित उधार तथा निवेश, दोनों), बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के क्रमशः 10 प्रतिशत / 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि बैंक किसी एकल एनबीएफसी /एनबीएफसी - एएफसी में अपनी पूंजीगत निधियों के क्रमशः 15 प्रतिशत /20 प्रतिशत तक एक्सपोजर कर सकते हैं बशर्ते क्रमशः 10 प्रतिशत/15 प्रतिशत से अधिक एक्सपोजर एनबीएफसी/ एनबीएफसी - एएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है। मूलभूत संरचना वित्त कंपनियों (आइएफसी) में बैंक के एक्सपोजर बैंक के अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार उसकी पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए और यदि वह एक्सपोजर आइएफसी द्वारा मूलभूत सुविधा क्षेत्र को आगे दी गई उधार निधायों के कारण हुआ है तो उसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को चाहिए कि वे सभी एनबीएफसी को मिलाकर उनमें अपने कुल एक्सपोजर पर आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर विचार करें। तुलन पत्र के प्रकाशन की तारीख के बाद पूंजीगत निधियों में हई वृद्धि को भी पूंजीगत निधीयों की गणना के प्रयोजन से विचार में लिया जाना चाहिए। पूंजीगत निधियों में इन वृद्धियों की गणना करने से पूर्व बैंकों को पूंजी केसंवर्धन की पूर्ति होने पर बहरी लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए।

2.1.1.7 सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण देना

एक्सपोजर संबंधी उपर्युक्त सीमाएँ सहायता संघ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण दिए जाने के मामले में भी लागू होंगी।

2.1.1.8 साख पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाए गए बिल

साख पत्र (जहां हिताधिकारी को भुगतान ‘आरक्षित निधि के अंतर्गत’ नहीं किया गया है) के अंतर्गत खरीद / भुनाए /परक्रामित किए गए बिलों को साख पत्र जारी करने वाले बैंक का एक्सपोजर समझा जाएगा न कि उधारकर्ता का। ‘आरक्षित निधि के अंतर्गत’ किए गए परक्रामणों के मामले में इसे उधारकर्ता का एक्सपोजर समझा जाएगा।

2.1.2 छूट

2.1.2.1 बीमार / कमजोर औद्योगिक इकायों का पुनर्वासि

एकल / समूह एक्सपोज़र सीमाओं पर उपर्युक्त सीमाएं पुनर्वासि पैकजों के अंतर्गत कमजोर/बीमार औद्योगिक इकायों को मंजूर की गयी वर्तमान/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं (ब्याज और अनियमितताओं के निधीयन सहित) के मामले में लागू नहीं होंगी ।

2.1.2.2 खाद्य ऋण

जिन उधारकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे ही खाद्य ऋण सीमाएं आवंटित की जाती हैं, उन्हें उक्त उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त होगी ।

2.1.2.3 भारत सरकार द्वारा गारंटियाँ

एकल / समूह एक्सपोज़र सीमाएँ उन परिस्थितियों में लागू नहीं होंगी जब मूलधन तथा ब्याज भारत सरकार द्वारा पूर्णतः गारंटीकृत हो ।

2.1.2.4 स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋण

किसी बैंक की स्वयं की मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मंजूर किए गए ऋणों और अग्रिमों (दोनों निधिक तथा गैर-निधिक सुविधाएं) को ऐसी जमाराशियों पर बैंक के विशिष्ट ग्रहणाधिकार की सीमा तक एक्सपोज़र के अभिकलन के लिए गिना न जाए ।

2.1.2.5 नाबार्ड में एक्सपोज़र

एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा पर लागू उच्चतम सीमा नाबार्ड में बैंकों के एक्सपोज़र पर लागू नहीं होगी । अलग-अलग बैंक अपने निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार नाबार्ड में एक्सपोज़र की मात्रा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, बैंक यह नोट करें कि समय-समय पर संशोधित किए गए, बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन तथा परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदंड पर मास्टर परिपत्र के अनुसार निर्धारित रेट न की गई एसएलआर से इतर प्रतिभूतियों में निवेशों से संबंधित प्रतिबंधों से कोई छूट नहीं है ।

2.1.3 परिभाषाएं

2.1.3.1 एक्सपोज़र

एक्सपोज़र में ऋण एक्सपोज़र (निधिक और गैर निधिक ऋण सीमाएं) और निवेश एक्सपोज़र (हामीदारी और उसी तरह की वचनबद्धताओं सहित) शामिल होंगे । एक्सपोज़र की सीमा की गणना करने के लिए मंजूर ऋण सीमा या बकाया राशि, दोनों में से जो भी अधिक हों, को हिसाब में लिया जाएगा । तथापि, पूर्णतः आहरित

मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग के पुनः आहरण की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक ऐसी बकाया राशि को एक्सपोज़र के रूप में गिने।

2.1.3.2 डेरिवेटिव उत्पादों के एक्सपोज़र का मापन

एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों के प्रयोजन के लिए बैंक ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन तथा स्वर्ण के कारण होनेवाले अपने ऋण एक्सपोज़रों की गणना करने के लिए नीचे दी गई ‘वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति’ का उपयोग करें। ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक ‘सोल्ड ऑप्शन्स’ को ध्यान में न ले बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है।

वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति

(i) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति का प्रयोग करते हुए अभिकलित किए गए बाजार संबंधी तुलन पत्रेतर लेनदेन की ऋण समतुल्य राशि इन संविदाओं के वर्तमान ऋण एक्सपोज़र तथा भविष्य में संभावित ऋण एक्सपोज़र का योग है। ऋण एक्सपोज़र की गणना करते समय बैंक ‘सोल्ड ऑप्शन्स’ को ध्यान में न लें बशर्ते संपूर्ण प्रीमियम/शुल्क अथवा किसी अन्य स्वरूप की आय प्राप्त/वसूल हुई है।

(ii) वर्तमान ऋण एक्सपोज़र को इन संविदाओं के धनात्मक बाजार दर पर अंकित मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति में इन संविदाओं के बाजार मूल्य द्वारा विद्यमान ऋण एक्सपोज़र का आवधिक अभिकलन अपेक्षित होता है।

(iii) संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र इस बात पर ध्यान दिए बिना संविदा का बाजार दर पर अंकित मूल्य शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, इन संविदाओं में से प्रत्येक की काल्पनिक मूल राशि को लिखत के स्वरूप तथा अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार नीचे दर्शाए गए संबंधित एंड ऑन गुणक द्वारा गुणन करके निर्धारित कि जाता है।

बाजार संबंधित तुलन पत्रेतर मर्दों के लिए ऋण परिवर्तन गुणक		
अवशिष्ट परिपक्वता	ऋण परिवर्तन गुणक	
	ब्याज दर संविदाएं	विनिमय दर संविदाएं तथा स्वर्ण
एक वर्ष अथवा उससे कम	0.50 प्रतिशत	2.00 प्रतिशत
एक वर्ष से अधिक से पांच वर्ष तक	1.00 प्रतिशत	10.00 प्रतिशत
पांच वर्ष से अधिक	3.00प्रतिशत	15.00 प्रतिशत

(iv) मूलधन के बहु विनिमय वाली संविदाओं के लिए एड ऑन गुणकों का संविदा में शेष भुगतान की संख्या द्वारा गुणन करना चाहिए ।

(v) उन संविदाओं के लिए जिन्हें विशिष्ट भुगतान तारीखों के अनुसार बकाया एक्सपोज़र के निपटान के लिए नियोजित किया गया है और जहां शर्तों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया गया है कि इन विशिष्ट तारीखों को संविदा का बाजार मूल्य शून्य होगा, अवशिष्ट परिपक्वता अगली पुनर्निर्धारण की तारीख तक की अवधि के समतुल्य अवधि पर निर्धारित की जाएगी । तथापि, ब्याज दर संविदाओं के मामले में जिनकी अवशिष्ट परिपक्वताएं एक वर्ष से अधिक हैं और जो उपर्युक्त मानदंड, ऋण परिवर्तन गुणक अथवा लागू होनेवाले ‘एड ऑन गुणक’ को पूर्ण करते हैं वे 1.00 प्रतिशत की न्यूनतम दर के अधीन होंगे ।

(vi) एकल मुद्रा अस्थिर/अस्थिर ब्याज दर स्वैप के लिए संभावित भावी ऋण एक्सपोज़र का अभिकलन नहीं किया जाएगा; इन संविदाओं पर लागू ऋण एक्सपोज़र का मूल्यांकन केवल उनके बाजार दर पर अंकित मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

(vii) संभावित भावी एक्सपोज़र आभासी के बजाय प्रभावी कल्पित राशियों के आधार पर होने चाहिए । इस स्थिति में जहां कथित कल्पित राशि में लेनदेन के स्वरूप के कारण वृद्धि अथवा वर्धन हुआ है, वहां भविष्य में संभावित एक्सपोज़र निर्धारित करने के लिए बैंकों को प्रभावी कल्पित राशि का प्रयोग करना चाहिए । उदाहरण के लिए, 1 मिलियन अमरीकी डालर की कथित काल्पनिक राशि जिसका भुगतान बीपीएसलआर की दो गुनी आंतरिक दर पर आधारित है, की प्रभावी काल्पनिक राशि 2 मिलियन अमरीकी डालर होगी ।

2.1.3.3 ऋण एक्सपोज़र

ऋण एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

- (क) सभी प्रकार की निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं
- (ख) उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त और फैक्टरिंग सेवाओं के रूप में उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं

2.1.3.4 निवेश एक्सपोज़र

क) निवेश एक्सपोज़र में निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे :

- (i) कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश ।
- (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में निवेश ।
- (iii) वाणिज्यिक पत्रों में निवेश ।

ख) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी डिबेंचरों /बांडों /प्रतिभूति रसीदों /पी टी सी में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निवेश प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी के

एक्सपोजर होंगे। स्थिति के असामान्य स्वरूप को देखते हुए बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को प्रारंभिक वर्षों में मामला-दर-मामला आधार पर विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से अधिक अनुमति दी जाएगी।

ग) बैंकोंद्वारा ऐसी कंपनी के बांडों और डिबेंचरों में किया गया निवेश, जो किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था¹ (पीएफआइ) द्वारा (अनुबंध 2 में दी हुई सूची के अनुसार) गारंटीकृत हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्था में बैंक का एक्सपोजर माना जायेगा, न कि उक्त कंपनी का।

घ) कंपनियों के बांडों के संबंध में पीएफआइ द्वारा जारी की गई गारंटियों के संबंध में वे गैर निधिक सुविधा होने के कारण, पीएफआइ का कंपनियों में एक्सपोजर 50 प्रतिशत माना जाएगा, जब कि कंपनी बांडों के संबंध में गारंटी जारी करने वाली पीएफआइ में बैंक का एक्सपोजर 100 प्रतिशत होगा। तथापि बांडों / डिबेंचरों के संबंध में गारंटी जारी करने से पूर्व पीएफआइ को वित्तीय प्रणाली में गारंटीकृत इकाई के समग्र एक्सपोजर को ध्यान में लेना चाहिए।

2.1.3.5 पूंजीगत निधियां

इस प्रयोजन के लिए पूंजीगत निधियों में पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंडों में परिभाषित की गयी तथा पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के प्रकाशित लेखों के अनुसार टीयर I और टीयर II पूंजी शामिल होगी। तथापि, प्रकाशित किए गए तुलन पत्र की तारीख के बाद टीयर I और टीयर II के अंतर्गत देशी अथवा विदेशी निर्गम (विदेशी बैंकों की भारत में कार्यरत शाखाओं के मामले में समय-समय पर संशोधित नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा अपने प्रधान कार्यालय से प्राप्त पूंजीगत निधियां) द्वारा पूंजी में की गयी वृद्धि को भी एक्सपोजर निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तिमाही लाभों आदि से पूंजीगत निधियों में हुई वृद्धि एक्सपोजर सीमा को निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिए जाने के लिए पात्र नहीं होगी। भविष्य में पूंजी में होने वाली वृद्धि की प्रत्याशा में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त एक्सपोजर लेने से भी बैंकों को प्रतिबंधित किया गया है।

2.1.3.6 समूह

¹ आइसीआइसीआइ लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ 30.03.2002 से विलय होने से आइसीआइसीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइसीआइसीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं। विलय की योजना के अनुसार सरकार द्वारा आइसीआइसीआइ लि. को प्रदान किये गये सभी ऋण और गारंटी संबंधी सुविधाएं विलयित संस्था को अंतरित हो जायेंगी। इसी प्रकार, बैंकों द्वारा पहले के आइसीआइसीआइ लि. में किये गये निवेशों को उनके परिशोधन तक 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर माना जायेगा।

¹ आइडीबीआइ लि. का आइडीबीआइ बैंक लि. के साथ 2 अप्रैल 2005 से विलय होने से आइडीबीआइ लि. की संपूर्ण देयताएं आइडीबीआइ बैंक लि. द्वारा ले ली गयी हैं। अतः ऋण आदि जोखिम मानदंडों के प्रयोजन के लिए भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. द्वारा गारंटीकृत कंपनियों के बांडों तथा डिबेंचरों में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों को परिशोधन होने तक आइडीबीआइ बैंक लि. पर न कि कंपनियों पर बैंकों का ऋण आदि जोखिम समझा जाता रहेगा। इसी तरह बैंकों द्वारा भूतपूर्व आइडीबीआइ लि. में किए गए निवेशों को उनके परिशोधन होने तक, पूंजी बाजार के ऋण आदि जोखिम के 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के बाहर माना जाएगा।

क) ‘समूह’ की अवधारणा और विशेष औद्योगिक समूह से संबंधित उधारकर्ताओं की पहचान का कार्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की समझ पर छोड़ दिया गया है। जोखिम आस्तियों पर अपने एक्सपोजर को नियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक / वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः अपने ग्राहकों के आधारभूत गठन से परिचित रहते हैं। अतः कोई विशिष्ट उधारकर्ता इकाई किस समूह से संबंधित है इसका निर्धारण बैंकों के पास उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर किया जा सकता है। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रबंधन का एक होना और कारगर नियंत्रण है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है उनपर केवल एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा लागू होगी।

ख) समूह में विभाजन होने के मामले में, यदि विभाजन औपचारिक है तो अलग हुए समूहों को अलग-अलग समूह माना जायेगा। यदि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को विभाजन की सत्यता में कोई संदेह हो तो वे भारतीय रिजर्व बैंक को लिखें, ताकि रिजर्व बैंक इस बारे में अंतिम विचार बना सके कि यह विभाजन सामूहिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्गीकृत होने से बचने के लिए तो नहीं किया गया है।

2.1.4 समीक्षा

जोखिम प्रबंधन के उपायों के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा जून की समाप्ति से पहले निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

2.2 उद्योग और कुछ निश्चित क्षेत्रों को ऋण एक्सपोजर

2.2.1 आंतरिक एक्सपोजर सीमाएं

2.2.1.1 क्षेत्रवार सीमाएं निश्चित करना

ऊपर बताये गये अनुसार एकल उधारकर्ता अथवा उधारकर्ताओं के समूह को दिए जाने वाले एक्सपोजर को सीमित करने के अलावा बैंक विशिष्ट क्षेत्रों यथा वस्त्र उद्योग, जूट, चाय आदि के प्रति समेकित वचनबद्धताओं की आंतरिक सीमाएं नियत करने पर भी विचार करें, ताकि एक्सपोजर विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित रहे। बैंकों द्वारा ये सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन और जोखिमों के संबंध में अपनी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए नियत की जा सकती हैं। इस प्रकार नियत की गयी सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित भी किया जाना चाहिए।

2.2.1.2 कंपनियों के बचाव व्यवस्था (हेज) न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बैंक के पास एक ऐसी नीति है जो उनके ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से उभरनेवाले जोखिमों को स्पष्टतः पहचानती है और उन पर ध्यान देती है, 10 मिलियन अमरीकी डालर अथवा बैंकों के ऐसे एक्सपोजरों के संविभागों की तुलना में उचित समझी गई निम्नतर सीमाओं से अधिक के विदेशी मुद्रा ऋण बैंकों को केवल ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों को हेज करने के संबंध में उनके बोर्ड की सुनिर्धारित नीति के आधार पर ही प्रदान करने चाहिए। साथ ही, हेज करने के लिए

उनके बोर्ड द्वारा बनाई गई नीति सुविधाजनक हो इसलिए उसमें से निम्नलिखित को निकाल देने पर विचार किया जाए :

- जहां फॉरेक्स ऋण निर्यातों के लिए दिए जाते हैं, वहां बैंक हेज करने पर जोर न दें लेकिन स्वयं को इस बात से आश्वस्त रखें कि ऐसे ग्राहकों के पास ऋण की राशि को कवर करने के लिए भार रहित प्राप्य राशियां हैं ।
- जहां फॉरेक्स ऋण, फॉरेक्स व्यय को पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं ।

बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की नीति में उनके सभी ग्राहकों के जिनमें छोटे तथा मझौले उद्यम शामिल हैं, हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों को कवर किया जाना चाहिए । साथ ही, ग्राहकों के हेज न किए गए कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का अधिकलन करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारों सहित सभी स्रोतों से उनके एक्सपोजर को हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

जिन बैंकों के अपने ग्राहकों के प्रति बहुत बड़े एक्सपोजर हैं, उन्हें एक पर्याप्त रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से अपने उन ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के हेज न किए गए भाग की मासिक आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करनी चाहिए, जिनके कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर काफी बड़े हैं (जैसे 25 मिलियन डालर अथवा उसके समतुल्य राशि) । एसएमई के हेज न किए गए एक्सपोजर की समीक्षा भी मासिक आधार पर की जानी चाहिए । सभी अन्य मामलों में ऐसी स्थिति की तिमाही आधार पर निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए बैंकों को कोई प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ।

संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में उपर्युक्त के अनुसार ग्राहकों के हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करने में अग्रणी भूमिका संघीय प्रमुख/सबसे अधिक एक्सपोजर होने वाले बैंक को निभानी होगी ।

2.2.1.3 स्थावर संपदा में एक्सपोजर

(i) बैंकों को स्थावर संपदा के लिए ऋणों की कुल राशि की अधिकतम सीमा, ऐसे ऋणों के लिए एकल /समूह एक्सपोजर सीमाओं, मार्जिन, जमानत, चुकौती सारणी और पूरक वित्त की उपलब्धता के संबंध में व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड बनाने चाहिए और इस नीति का बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए ।

(ii) स्थावर संपदा से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं ने परियोजना के लिए जहां आवश्यक हो वहां सरकार/स्थानीय सरकारों/ अन्य सांविधिक प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्राप्त की है। इस उद्देश्य से कि उपर्युक्त के कारण ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में कोई झावट न आए, प्रस्तावों को सामान्य रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन उधारकर्ता द्वारा सरकारी प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी/अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही उन्हें वितरित किया

जाए। बैंकों के बोर्ड स्थावर संपदा में एक्सपोजर संबंधी अपनी नीतियों में नैशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के अनुपालन से संबंधित पहलुओं को शामिल करने पर भी विचार करें। एनबीसी संबंधी जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाईट (www.bis.org.in) पर उपलब्ध है।

(iii) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थापित करने अथवा एसईज़ेड में जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, इकाईयां अर्जित करने के लिए बैंकों द्वारा कंपनियों में किए गए एक्सपोजर को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से जोखिम भार और पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से वाणिज्य स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर माना जाएगा तथा बैंकों को ऐसे एक्सपोजर के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान तथा उचित जोखिम भार भी निर्धारित करने होंगे। उपर्युक्त एक्सपोजर को केवल एक्सपोजर मानदंडों के प्रयोजन के लिए बुनियादी सुविधा क्षेत्र में एक्सपोजर माना जाए क्योंकि एक्सपोजर मानदंड बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए कुछ छूट प्रदान करते हैं। इस संबंध में 9 सितंबर 2009 के हमारे परिपत्र बैंपविव.बीपी.बीसी.सं.42/08.12.015/2009-10 के पैराग्राफ 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(iv) बैंक की नीति निर्धारित करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाये। बैंक यह सुनिश्चित करें कि बैंक के ऋण का उपयोग उत्पादक निर्माण कार्यों के लिए ही किया जाये, स्थावर संपदा में सट्टेबाजी के लिए नहीं।

2.2.2 पट्टेदारी, किराया खरीद और फैक्टरिंग सेवाओं में एक्सपोजर

बैंकों को पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढत (फैक्टरिंग) कार्यों को विभागीय तौर पर करने की अनुमति दी गई है। जहां बैंक इन कार्यों को विभागीय तौर पर करते हैं, वहां उन्हें कुल ऋण की तुलना में उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद तथा आढत सेवाओं का संतुलित संविभाग बनाए रखना होगा। इनमें से प्रत्येक गतिविधि में उनका एक्सपोजर कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2.3 विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेश स्थित सहायक कंपनियों की सहायक कंपनियों (स्टेप-डाउन सब्सिडियरिज़) में एक्सपोजर

2.2.3.1 बैंकोंको, विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों /पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों के पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सहायक कंपनियों को ऋण/ गैर ऋण (अर्थात् साखपत्र और गारंटी) सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति है। बैंकों को अपने विवेक से, भारत से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सुसाध्य बनाने हेतु विदेशी पार्टियों को क्रेता ऋण/ स्वीकृति वित्त प्रदान करने की भी अनुमति है।

2.2.3.2 परंतु उपर्युक्त एक्सपोजर निम्नलिखित शर्तों के अधीन, बैंक की अक्षत पूंजी (टीयर I और टीयर II पूंजी) के 20 प्रतिशत से अनधिक होगा :-

- i. केवल उन्हीं संयुक्त उद्यमों को ऋण प्रदान किया जायेगा जहां भारतीय कंपनी की धारिता 51% से अधिक होगी ।
- ii. दूसरे देशों में इस प्रकार के उधार देने से उत्पन्न ऋण जोखिम और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए समुचित प्रणालियां लागू की गई हों ।
- iii. ये सुविधाएं देते समय बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन करना होगा जिसके अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में आस्तियां भारत में उसकी मांग व मीयादी देयताओं के 75 प्रतिशत से कम नहीं होंगी । दूसरे शब्दों में भारत के बाहर समग्र आस्तियां बैंक की भारत में मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- iv. इस प्रकार के उधार दिए जाने के लिए संसाधन का आधार एफ सी एन आर (बी), ई ई एफ सी, आर एफ सी इत्यादि जैसे विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियां होनी चाहिए, जिनके बारे में बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करना पड़ता हो ।
- v. इस प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न अधिकांश आस्तियों और देयताओं के असंतुलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतर सीमाओं के भीतर होते हों ।
- vi. देशी ऋण /ऋणेतर एक्सपोजरों पर लागू पूँजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदंडों इत्यादि से संबंधित सभी वर्तमान रक्षोपायों /विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो ।
- vii. स्टेप-डाउन सहायक कंपनी का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि बैंक अपने द्वारा दी गई सुविधाओं की प्रभावी रूप से निगरानी कर सकते हों ।

2.2.3.3 इसके अतिरिक्त, ऐसी ऋण /ऋणेतर सुविधा के लिए बनायी जाने वाली ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए :

(क) इस प्रकार के ऋणों की स्वीकृति परियोजना को समर्थन देने वाले प्रवर्तकों की सिर्फ ख्याति पर नहीं, बल्कि परियोजना के समुचित मूल्यांकन और उसकी वाणिज्यिक सक्षमता पर आधारित हो । गैर-निधिक सुविधाओं की संवीक्षा उतनी ही सख्ती से की जानी चाहिए जितनी सख्ती से निधि पर आधारित सीमाओं की संवीक्षा की जाती है ।

(ख) उन देशों में, जहां संयुक्त उद्यम /पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थित हों, विदेशी मुद्रा ऋण इत्यादि प्राप्त करने या विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के लिए इन कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए और अनिवासी बैंकों को विदेश स्थित प्रतिभूतियों / आस्तियों पर कानूनी भार लेने

की अनुमति होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उनके निपटान का भी अधिकार होना चाहिए ।

2.2.3.4 बैंकों को पूंजी पर्याप्तता से संबंधित सभी वर्तमान रक्षोपायों / विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों और ऊपर पैरा 2.1 में बताए गए जोखिम संबंधी मानदंडों का अनुपालन भी करना चाहिए ।

2.3 पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोजर - मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना

पूंजी बाजारों में बैंकों का एक्सपोजर - मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना वर्ष 2005-2006 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किए गए अनुसार, बैंकों के लिए निर्धारित किए गए पूंजी बाजार में एक्सपोजर संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को आधार तथा व्याप्ति के अनुसार युक्तिसंगत किया गया है। तदनुसार, पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोजर पर विद्यमान दिशानिर्देशों को आशोधित किया गया और 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुए संशोधित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं ।

2.3.1 पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) के घटक

बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोजरों में उनके प्रत्यक्ष एक्सपोजर तथा अप्रत्यक्ष एक्सपोजर दोनों शामिल होंगे। पूंजी बाजारों में बैंकों को सभी प्रकार के कुल एक्सपोजर (निधि तथा गैर-निधि आधारित दोनों) में निम्नलिखित शामिल होगा :

- i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों, की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी संपूर्ण राशि केवल कंपनी ऋण में निवेशित नहीं है;
- ii. शेयर (आइपीओ /ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों /बांडों/ डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम;
- iii. अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है;
- iv. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों समर्थक जमानत द्वारा रक्षित हिस्से की सीमा तक अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों /परिवर्तनीय डिबेंचरों /ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों से अन्य प्राथमिक जमानत अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम;
- v. शेयर दलालों को जमानती तथा बेजमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटिया;

- vi. संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों /बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बिना जमानत के कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण;
- vii. अपेक्षित ईक्विटी प्रवाहों /निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को दिए गए तात्कालिक (ब्रिज) ऋण;
- viii. शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों की हामीदारी प्रतिबद्धताएं ; तथापि 16 अप्रैल 2008 से एकल बैंक तथा समेकित बैंक के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र का अभिकलन करने के प्रयोजन से बैंक बुक रनिंग प्रक्रिया के माध्यम से दी गयी अपनी खुद की तथा अपनी सहायक कंपनियों की हामीदारी प्रतिबद्धताओं को शामिल न करें । इससे संबंधित स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी ।
- ix. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण;
- x. जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा पंजीकृत न किए गए दोनों)में सभी एक्सपोज़र ।

2.3.2 पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोज़र पर सीमाएं

2.3.2.1 कंपनियों में शेयरधारिता पर सांविधिक सीमा

ब्ककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई भी ब्किंग कंपनी, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) में दी गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी कंपनी में गिरवीदार, बंधकग्राही अथवा पूर्णस्वामी के स्प्य में उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा उसकी अपनी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों, जो भी कम हो, के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि के शेयर धारित नहीं करेगी। एक्सपपजर सीमा निश्चित करने के लिए अमूर्त स्वस्प्य में धारित शेयरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रत्येक कंपनी के लिए यह एक समग्र धारण सीमा है। शेयरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय, शेयरों के निर्गम की हामीदारी देते समय या निवेश खाते पर अथवा किसी कंपनी के ऋण के बदले में कोई शेयर अर्जित करते समय इन सांविधिक उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।

2.3.2.2 विनियमक सीमाएं

क एकल आधार

सभी स्प्यों (निधि आधारित तथा निधितर आधारित, दोनों) में किसी बैंक का पूंजी बाजारों में कुल एक्सपोज़र, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के प्रत्यक्ष निवेश तथा उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत

दोनों) में सभी एक्सपोजर उसकी निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

ख समेकित आधार

किसी समेकित बैंक का पूँजी बाजारों (निधि आधारित तथा निधितर आधारित, दोनों) में कुल एक्सपोजर, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी समेकित निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समग्र उच्चतम सीमा के भीतर शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा ईक्विटी-उन्मुख म्युचुअल फंडों के यूनिटों में बैंकों के निवेश के स्प में समेकित बैंक का कुल प्रत्यक्ष एक्सपोजर तथा उद्यम पूँजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोजर उसकी समेकित निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

टिप्पणी समूह-वार आधार पर विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन से ‘समेकित बैंक’ को कंपनियों के ऐस समूह के स्प में परिभाषित किया जाता है जिनमें सहायक कंपनियों वाला अथवा न होने वाला एक लाइसेंसीकृत बैंक शामिल है।

2.3.2.3 उपर्युक्त सीमाएं (पैरा के तथा ख) अधिकतम अनुमत सीमाएं हैं और बैंक का निदेशक बोर्ड अपने बैंक के जोखिम का समग्र स्वरूप तथा कॉर्पोरेट रणनीति को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए निम्नतर सीमा अपनाने के लिए स्वतंत्र है। बैंकों को इन सीमाओं का निरंतर आधार पर पालन करना चाहिए।

2.3.3 निवल मालियत की परिभाषा

निवल मालियत में प्रदत्त पूँजी तथा शेयर प्रीमियम सहित मुक्त आरक्षित निधि जिसमें पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियां शामिल नहीं होंगी और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां तथा लाभ-हानि खाते में जमा शेष जिसमें से लाभ-हानि खाते में नामे शेष, संचित हानियां तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाया जाएगा शामिल होंगी। निवल मालियत की गणना में कोई भी सामान्य अथवा विशिष्ट प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा। तुलन पत्र की प्रकाशित तारीख के बाद देशी अथवा विदेशी निर्गम के माध्यम से ईक्विटी शेयरों द्वारा पूँजी में की गई वृद्धि को भी पूँजी बाजार में एक्सपोजर की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाए। उपर्युक्त के अनुसार वृद्धियों की गणना करने से पूर्व बैंकों को पूँजी के संवर्धन की पूर्ति होने पर बाहरी लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए।

2.3.4 पूँजी बाजार एक्सपोजर में शामिल न की गई मद्दें

निवल मालियत के 40 प्रतिशत की कुल एक्सपोजर सीमा तथा निवल मालियत के 20 प्रतिशत की प्रत्यक्ष निवेश एक्सपोजर सीमा (जहां लागू हो) निम्नलिखित मद्दें नहीं होंगी :

- i. बैंक के अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश तथा शेयरों तथा परिवर्तनीय डिबेंचर्स, वित्तीय स्वरूप

की महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल), केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल), राष्ट्रीय प्रतिपूर्ति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल), राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई), भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल), ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीबिल) तथा अन्य अनुमोदित ऋण आसूचना कंपनियां, मल्टि कमॉडिटी एक्सचेंज लि. (एमसीएक्स), नैशनल कमॉडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स), नैशनल मल्टि-कमॉडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएमसीईआइएल), नैशनल कोलेंटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल) तथा अनुबंध 3 में दिए गए अनुसार अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी परिवर्तनीय बांडों में निवेश। सूचीबद्ध किए जाने के बाद मूल निवेश (अर्थात् सूचीबद्ध किए जाने के पूर्व) के अतिरिक्त एक्सपोजर पूंजी बाजार एक्सपोजर का हिस्सा बनेंगे।

- ii. अन्य बैंकों द्वारा जारी किए गए टीयर I तथा टीयर II ऋण लिखत;
- iii. अन्य बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) में निवेश;
- iv. अधिमान शेयर;
- v. अपरिवर्तनीय डिबेंचर तथा अपरिवर्तनीय बांड;
- vi. ऐसी योजनाओं के अंतर्गत म्युच्युअल फंडों के यूनिट जहां मूल धन का केवल ऋण लिखतों में निवेश किया है;
- vii. कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत ऋण/अतिदेय ब्याज के ईक्विटी में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शेयर;
- viii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायत कंपनियों में ईक्विटी अर्जित करने के लिए भारतीय प्रवर्तकों को स्वीकृत मीयादी ऋण;
- ix. 16 अप्रैल 2008 से एकल बैंक तथा समेकित बैंक के पूंजी बाजार एक्सपोजर का अभिकलन करने के प्रयोजन से बैंक बुक रनिंग प्रक्रिया के माध्यम से दी गयी अपनी खुद की तथा अपनी सहायक कंपनियों की हामीदारी प्रतिबद्धताओं को शामिल न करें। (तथापि इससे संबंधित स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी।)
- x. बुनियादी सुविधाएं परियोजना उधार के लिए उधारदाता बैंक के पास गिरवी रखे गए बुनियादी सुविधा परियोजना के एसपीवी में प्रवर्तकों के शेयर।

2.3.5 एक्सपोजर की गणना

पूंजी बाजारों में एक्सपोजर की गणना करने के लिए पूंजी बाजार परिचालनों के लिए स्वीकृत ऋण / अग्रिम तथा जारी की गई गारंटियों को स्वीकृत सीमाओं अथवा बकाया राशि इनमें से जो भी अधिक है के संदर्भ में गिना जाएगा। तथापि पूर्णतः आहरित मीयादी ऋणों के मामले में जहां स्वीकृत सीमा में से किसी भी हिस्से के पुनः आहरण की गुंजाइश नहीं हैं, वहां बैंक बकाया राशि को एक्सपोजर के स्पष्ट में गिन सकते हैं। इसके

अलावा, शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश को करने के लागत मूल्य पर अधिकलित किया जाएगा।

2.3.6 एक दिन के भीतर किए गए एक्सपोज़र

वर्तमान में एक दिन के भीतर पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोज़र जो कि अंतर्निहित रूप से जोखिमपूर्ण होते हैं, की निगरानी करने के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। यह निर्णय लिया गया है कि एक दिन में एक्सपोज़रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बैंक का बोर्ड को एक नीति विकसित करनी होगी और ऐसी सीमाओं की निरंतर आधार पर निगरानी करने के लिए एक उचित प्रणाली भी स्थापित करनी होगी। स्थिति की भविष्य में समीक्षा की जाएगी।

2.3.7 सीमाओं में वृद्धि

जिन बैंकों के पास स्वस्थ आंतरिक नियंत्रण तथा संतुलित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां हैं वे उनके ब्यौरों सहित उच्चतर सीमाओं के लिए रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

2.4 ईक्विटी का वित्तपोषण तथा शेयरों में निवेश

2.4.1 शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम

शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर बैंकिंग प्रणाली से व्यक्तियों को ऋण की राशि यदि प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप में धारित हो तो प्रति व्यक्ति 10 लाख स्पये की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में धारित हैं तो प्रति व्यक्ति 20 लाख स्पये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऋण वास्तविक वैयक्तिक निवेशकों के लिए होते हैं और किसी विशिष्ट स्क्रिप अथवा संबंधित कंपनियों के स्टॉक ब्रोकिंग कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए बहुविध ऋण लेने के लिए बैंकों को एक ही कंपनी अथवा उनकी अंततः संबद्ध संस्थाओं के व्यक्तियों के बड़े समूह की सांठ-गांठ पूर्ण कार्रवाई को समर्थन नहीं देना चाहिए। ऐसे वित्त को पूंजी बाजार में एक्सपोज़र के रूप में गिना जाए। शेयरों, डिबेंचरों तथा बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान करने के लिए बैंकों को भारिबैं के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक ऋण नीति तैयार करनी चाहिए। एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक ऐसे अग्रिमों के लिए कुल समुचित उप-सीमाएं निर्धारित करने पर भी विचार कर सकते हैं।

2.4.2 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का वित्तपोषण

आइपीओ में अभिदान के लिए बैंक व्यक्तियों को अग्रिम प्रदान कर सकते हैं। शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों की जमानत पर आइपीओ में अभिदान के लिए

बैंकिंग प्रणाली से किसी एक व्यक्ति को प्रदान किए गए ऋण /अग्रिम 10 लाख स्पये की सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। अन्य कंपनियों के आइपीओ में निवेश करने के लिए बैंक कंपनियों को ऋण प्रदान नहीं करेंगे। इसी प्रकार, आइपीओ में अभिदान के लिए व्यक्तियों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक वित्त प्रदान नहीं करेंगे। आइपीओ के लिए बैंक द्वारा प्रदान किया गया वित्त पूँजी बाजार में वित्त के रूप में गिना जाए।

2.4.3 कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक वित्त

2.4.3.1 कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजनाओं (ईएसओपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर्स खरीदने के लिए अथवा आइपीओ के अंतर्गत कर्मचारियों के कोटा के रूप में आरक्षित शेयरों की खरीद के लिए खरीद की कीमत के 90 प्रतिशत अथवा 20 लाख स्पये, इनमें से जो भी कम हो, तक बैंक वित्त प्रदान कर सकते हैं। ईएसओपी/ आइपीओ के अंतर्गत कर्मचारियों के कोटा के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किये गये वित्त को बैंकों की निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पूँजी बाजार में किया गया एक्सपोजर माना जाएगा। ये अनुदेश बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन/आईपीओ के अंतर्गत शेयरों के अर्जन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मामले में लागू नहीं होंगे, क्योंकि बैंकों को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन /आईपीओ के अंतर्गत अथवा अनुषंगी बाजार से अपने बैंकों के शेयर खरीदने के लिए अग्रिम देने की अनुमति नहीं है, जिसमें उनके कर्मचारियों/उनके द्वारा स्थापित कर्मचारी न्यासों को अग्रिम शामिल हैं। यह प्रतिबंध इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होगा कि अग्रिम जमानती हैं अथवा गैर-जमानती।

2.4.3.2 बैंकों को उधारकर्ता से एक घोषणा पत्र प्राप्त करना चाहिए जिसमें शेयरों तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अन्य बैंक/बैंकों से लिए गए ऋण / अग्रिम के ब्यौरे दर्शाएं गए हैं ताकि उस प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमाओं को अनुपालन सुनिश्चित हो।

2.4.3.3 अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (एफपीओ) को भी आइपीओ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

2.4.4 शेयर दलालों (स्टॉक ब्रोकर) और मार्केट मेकरों को शेयरों की जमानत पर अग्रिम

2.4.4.1 बैंक, अपने बोर्डों के अनुमोदन से, नीतिगत ढांचे के भीतर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर स्टॉक दलालों और मार्केट मेकरों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, अंतर-संबद्ध स्टॉक दलाली संस्थाओं और बैंकों के बीच उभरने वाली किसी साठ-गांठ से बचने के उद्देश्य से प्रत्येक बैंक के बोर्ड को पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर निम्नलिखित हेतु कुल अग्रिमों के लिए उप-उच्चतम सीमा निश्चित करनी चाहिए :

- i. सभी शेयर दलाल और मार्केट मेकर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों, अर्थात् गारंटियां) ; और

ii. किसी एकल स्टॉक दलाली संस्था हेतु, जिसमें उसकी सहायक संस्थाएं /अंतर-संबद्ध कंपनियां शामिल हैं ।

2.4.4.2 इसके अलावा बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में आर्बिट्रेज ऑपरेशन्स के लिए स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए।

2.4.5 संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) हिताधिकारी को शेयरों की जमानत पर व्यक्तियों को बैंक का वित्तपोषण

संयुक्त नामों पर धारित शेयरों को जमानत पर संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारियों को अग्रिम प्रदान करते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों तथा उपर्युक्त निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण / अग्रिमों पर लगाई गई उपर्युक्त सीमाओं से बचने के लिए अन्य संयुक्त धारकों अथवा अन्य पक्ष हिताधिकारी को अग्रिम प्रदान करके विनियम का उद्देश्य व्यर्थ नहीं होता है।

2.4.6 म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम

म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करते समय बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए

- i) यूनिट स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने चाहिए अथवा उधार देने के समय यूनिटों की पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए
- ii) यूनिटों ने संबंधित योजना में निर्धारित की गई न्यूनतम अवरुद्धता अवधि को पूर्ण किया हो ।
- iii) निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्खरीद कीमत अथवा बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम हो से सहलग्न होनी चाहिए तथा यूनिटों के अंकित मूल्य से नहीं ।
- iv) म्युच्युअल फंडों की यूनिटों (पूर्णतः: ऋण उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को छोड़कर/की जमानत पर अग्रिमों पर शेयर तथा डिबेंचरों की जमानतपर दिए गए अग्रिमों को लागू होनेवाली मात्रात्मक तथा मार्जिन अपेक्षाएं लागू होंगी। तथापि पूर्णतः: ऋण उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर व्यक्तियों को दिए जानेवाले ऋण तथा अग्रिमों के लिए मात्रात्मक तथा मार्जिन अपेक्षाओं को बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार अपने-आप निर्धारित करेंगे ।
- v) अग्रिम प्रयोजन उन्मुख होने चाहिए जिन्हें देते समय निवेशक की ऋण आवश्यकता को विचार में लिया गया हो । म्युच्युअल फंड की अन्य योजना में अभिदान करने अथवा उसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए अथवा शेयर/डिबेंचर/बांडों आदि की खरीद के लिए अग्रिम प्रदान नहीं किए जाने चाहिए ।

2.4.7 शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर अन्य उधारकर्ताओं को अग्रिम

2.4.7.1 प्रवर्तकों के शेयरों तथा डिबेंचरों की प्राथमिक जमानत पर औद्योगिक, कॉर्पोरेट अथवा अन्य उधारकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करने का प्रश्न सामान्यतः उठना ही नहीं चाहिए। तथापि कार्यकारी पूँजी के रूप में अथवा अन्य उत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए जमानती ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छोड़कर अन्य उधारकर्ताओं से ऐसी जमानतों को स्वीकार किया जा सकता है। जहां कहीं डिमेट सुविधा उपलब्ध है वहां बैंक प्रवर्तकों के शेयर केवल अमूर्त रूप में स्वीकार करें।

2.4.7.2 नयी परियोजनाओं की स्थापना अथवा विद्यमान कारोबार के विस्तार के समय अथवा एनबीएफसी को छोड़कर अन्य यूनिटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी जुटाने के प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब दीर्घावधि संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में ऐसे उधारकर्ताओं को मार्जिन के लिए अपेक्षित निधियां मिलने में कठिनाई होगी। ऐसे मामलों में बैंकों द्वारा मार्जिन के रूप में शेयरों तथा डिबेंचरों की संपार्श्विक जमानत प्राप्त करने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं अस्थायी स्वरूप की होंगी और उन्हें एक वर्ष की अवधि के बाद जारी नहीं रखा जाएगा। बैंकों को अपेक्षित निधियों को जुटाने की तथा निर्धारित अवधि के भीतर अग्रिम को चुकाने की उधारकर्ता की क्षमता के संबंध में अपने-आप को संतुष्ट करना होगा।

2.4.8 प्रवर्तकों के अंशदानों के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण

2.4.8.1 संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों (यथासंभव अमूर्त शेयर) की जमानत पर कंपनियों को मंजूर ऋणों को शेयरों में बैंक के निवेश माना जाना चाहिए, जो इस प्रकार सभी रूपों में पूँजी बाजार को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों को शामिल करते हुए बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए निर्दिष्ट पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की निवल मालियत के 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन आयेंगे।

2.4.8.2 ये ऋण एकल / समूह उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले एक्सपोजर मानदण्डों तथा ऊपर उल्लिखित कंपनियों में शेयरधारिता के संबंध में सांविधिक सीमा के भी अधीन होंगे।

2.4.9 तात्कालिक ऋण (ब्रिज लोन)

2.4.9.1 बैंकों को अनुमति दी गयी है कि वे प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों /निर्गमों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए तात्कालिक ऋण मंजूर कर सकते हैं। ऐसे ऋणों को सभी रूपों में पूँजी बाजार को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर दोनों को मिलाकर बैंक के कुल एक्सपोजर के लिए निर्दिष्ट पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की निवल मालियत के 40 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन शामिल किया जाना चाहिए।

2.4.9.2 ऐसे ऋणों की मंजूरी के लिए बैंकों को ऐसे ऋणों की सुरक्षा के प्रति समुचित सावधानी बरतते हुए और ध्यान रखते हुए अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से अपने स्वयं के आंतरिक दिशा-निर्देश बनाने चाहिए ।

2.4.9.3 बैंक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, बाह्य वाणिज्यक उधारों, भूमंडलीय जमा रसीदों और /या प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के स्वरूप की निधियों के प्रत्याशित आगमों को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक ऋण भी मंजूर कर सकते हैं, बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हों कि उधार लेने वाली कंपनी ने उक्त संसाधन /निधियां जुटाने के लिए पक्की व्यवस्था कर ली है ।

2.4.10 उद्यम पूंजी निधि में बैंकों का निवेश

वर्ष 2006-2007 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित किए गए अनुसार तथा 25मई तथा 23 अगस्त 2006 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंपविवि. बीपी. बीसी. 84 तथा 27/21.01.002/ 2005-2006 में सूचित किए गए अनुसार उद्यम पूंजी निधि (दोनों पंजीकृत तथा अपंजीकृत) में बैंकों के एक्सपोजरों को ईक्विटी के समान समझा जाएगा तथा इसलिए पूंजी बाजार में एक्सपोजर सीमाओं (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपातन के लिए गिना जाएगा ।

2.4.11 शेयरों/गारंटियां जारी करने की जमानत पर अग्रिमों पर मार्जिन

सभी अग्रिमों/आइपीओ के वित्तपोषण/स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी की गई गारंटियों पर 50 प्रतिशत की एक समान मार्जिन लागू की जाएगी । पूंजी बाजार परिचालनों के लिए बैंकों द्वारा जारी की गयी गारंटियों के संबंध में न्यूनतम 25 प्रतिशत (50 प्रतिशत की मार्जिन के भीतर) का नकद मार्जिन रखा जाएगा । ये मार्जिन अपेक्षाएं डीवीपी लेनदेन के लिए अस्थायी ओवरड्राफ्ट के स्पष्ट में स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए बैंक वित्त के संबंध में भी लागू होंगी ।

2.4.12 भारत सरकार का विनिवेश कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी धारिता के विनिवेश कार्यक्रम के संदर्भ में, बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को प्राप्त करने के लिए सफल बोली लगाने वालों को वित्त उपलब्ध करा सकते हैं । भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए बैंकों के वित्तपोषण के कारण यदि ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना हो कि कोई बैंक पिछले वर्ष के 31 मार्च को अपनी निविल मालियत के 40 प्रतिशत की विनियामक उच्चतम सीमा में वृद्धि हो जाएगी तो यह निर्णय किया गया है कि रिजर्व बैंक उच्चतम सीमा में छूट हेतु किये गये बैंकों के ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार विचार करेगा । यह विचार मार्जिन, पूंजी बाजार में बैंक के एक्सपोजर आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन व्यवस्थाएं आदि सावधानी के संबंध में पर्याप्त को ध्यान में रखकर किया जाएगा । उच्चतम सीमा में छूट के संबंध में इस प्रकार विचार किया जाएगा कि बैंक के सभी प्रकार के एक्सपोजर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए

प्रदत्त अग्रिमों को घटाकर, 40 प्रतिशत की विनियामक उच्चतम सीमा के अधीन रहती है। रिजर्व बैंक व्यक्तिगत /समूह ऋण एक्सपोज़र के संबंध में छूट के लिए बैंकों से प्राप्त अनुरोधों पर प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार विचार करेगा। परंतु ऋणकर्ता के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अर्जन के लिए प्रदत्त अग्रिमों को घटाकर रिजर्व बैंक द्वारा व्यक्ति /समूह ऋणकर्ता एक्सपोज़र के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होने चाहिए।

2.4.13 क. विदेशी कंपनियों में ईक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए वित्तपोषण

भारतीय कंपनियों को विदेश स्थित संयुक्त उपक्रमों/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में अथवा विदेश स्थित अन्य नयी अथवा विद्यमान कंपनियों में अनुकूल निवेश के रूप में ईक्विटी अर्जित करने के लिए, बैंक अपनी ऋण नीति में विधिवत् सम्मिलित की गयी बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसी नीति में ऐसे वित्तपोषण पर समग्र उच्चतम सीमा, उधारकर्ताओं की पात्रता की शर्तें, सुरक्षा, मार्जिन आदि शामिल होने चाहिए। ऐसे उधार के लिए बोर्ड अपने खुद के दिशानिर्देश तथा सुरक्षा उपाय बना सकता है, लेकिन ऐसा(ऐसे) अधिग्रहण कंपनी तथा देश के लिए लाभदायी होना चाहिए। यह वित्त बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अंतर्गत आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन होगा।

ख. भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पुनर्वित्त योजना

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत बैंक विदेश स्थित संयुक्त उपक्रमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों में ईक्विटी अर्जित करने के लिए पात्र भारतीय प्रवर्तकों के लिए गुण-दोष के आधार पर मीयादी ऋण मंजूर कर सकते हैं, बशर्ते उक्त मीयादी ऋण भारतीय निर्यात- आयात बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित किये गये हों।

2.4.14 आर्बिट्रेज आपरेशंस

बैंकों को स्वयं आर्बिट्रेज आपरेशंस नहीं करने चाहिए अथवा स्टाक एक्सचेंजों में आर्बिट्रेज आपरेशंस के लिए स्टाक ब्रोकरों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। बैंक द्वितीयक बाजार से शेयर ले सकते हैं, परंतु उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने निवेश के पोर्टफोलियो में शेयर वस्तुतः रखे बिना बिक्री संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया जाता है।

2.4.15 मार्जिन ट्रेडिंग

2.4.15.1 बैंक स्टॉक ब्रोकरों का मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक के बोर्ड को निम्नलिखित मानदंडों के अधीन मार्जिन ट्रेडिंग के लिए उधार देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

(i) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए प्रदान किया गया वित्त पूँजी बाजार में एक्सपोजर के लिए निर्धारित की गई निवल मालियत के 40 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

(ii) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए उधार दी गई निधियों पर 50 प्रतिशत की न्यूनतम मार्जिन रखनी चाहिए।

(iii) मार्जिन ट्रेडिंग से खरीदे गए शेयर अमूर्त स्वस्य के होने चाहिए और उधारदाता बैंक के पास गिरवी होने चाहिए। 50 प्रतिशत की मार्जिन की निगरानी करने तथा उसे निरंतर आधार पर बनाए रखने के लिए बैंक को एक समुचित प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मार्जिन ट्रेडिंग के संबंध में अंतर-संबद्ध स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं / स्टॉक ब्रोकरों तथा बैंक के बीच कोई ‘सांठ-गांठ’ नहीं उभरती है, बैंक के बोर्ड को आवश्यक रक्षोपाय निर्धारित करने चाहिए। बैंकों को मार्जिन ट्रेडिंग, स्टॉक ब्रोकरों तथा स्टॉक ब्रोकिंग संस्थाओं की उचित संख्या के बीच प्रसारित करना चाहिए।

2.4.15.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को मार्जिन ट्रेडिंग के माध्यम से बैंकों के एक्सपोजर की आवधिक निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त मानदंडों के अधीन बैंकों के बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। मार्जिन ट्रेडिंग के लिए दिए गए कुल वित्त को बैंक अपने तुलन पत्र के ‘लेखा पर टिप्पणियां’ में प्रकट करेंगे।

2.5 जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

जो बैंक उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत इक्विटी शेयरों / डिबेंचरों में निवेश करने, इक्विटी के वित्तपोषण और गारंटियां जारी करने के इच्छुक हों, उन्हें निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए :

2.5.1 निवेश नीति

- (i) शेयरों आदि में निवेश के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक पारदर्शी नीति और क्रियाविधि तैयार की जानी चाहिए।
- (ii) अपने परिचालनों के परिमाण की आवश्यकतानुसार समर्पित इक्विटी शोध विभाग स्थापित करके इक्विटी शोध में पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित की जानी चाहिए।

2.5.2 निवेश समिति

शेयरों परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों में प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में निर्णय बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा लिया जाना चाहिए। बैंक द्वारा किये गये निवेशों के लिए उक्त निवेश समिति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

2.5.3 जोखिम प्रबंधन

- (i) बैंकोंको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयर दलालों में उनके एक्सपोजर का दलाल ग्राहकों, आंतरिक रूप से संबद्ध व्यक्तिगत दलाली संस्थाओं की संख्या में समुचित रूप से विशाखन हो;
- (ii) शेयर दलालों को अग्रिम मंजूर करते समय, बैंकोंको दलाल के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड और उसकी ऋण पात्रता, उसकी वित्तीय स्थिति, उसके अपने खाते के परिचालनों और उसके ग्राहकों की ओर से परिचालनों, स्टॉक तथा शेयरों की औसत पण्यावर्त अवधि, व्यावसायिक परिचालनों आदि में नियोजित किये जाने के लिए दलाल की अपेक्षित निधियों की मात्रा इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए;
- (iii) बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि शेयर दलालों के ऋण प्रस्तावों की जांच करते समय वे शेयर दलाल तथा उसकी सभी संबद्ध कंपनियों द्वारा अन्य बैंकोंसे प्राप्त सुविधाओं के ब्योरे भी प्राप्त करें ;
- (iv) अन्य उधारकर्ताओं को शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करते समय बैंकों को, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा या उनकी सहायक /आंतरिक रूप से संबद्ध कंपनियों द्वारा उसी प्रयोजन (अर्थात् शेयरों आदि में निवेश) के लिए अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधाओं का ब्योरा प्राप्त करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता द्वारा या उसकी सहायक कंपनी या आंतरिक रूप से संबद्ध कंपनियों द्वारा बैंक वित्त की मदद से उच्च लीवरेज न बना लिया जाये ।

2.5.4 लेखा-परीक्षा समिति

- (i) शेयरों में निवेश / शेयरों की जमानत पर अग्रिम की चौकसी एवं निगरानी का कार्य बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा जो अपनी प्रत्येक बैठक में विभिन्न रूपों में पूँजी बाजार में बैंक के कुल एक्सपोजर निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित दोनों, की समीक्षा करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाये तथा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की जायें;
- (ii) लेखा-परीक्षा समिति पूँजी बाजार में समग्र एक्सपोजर भारतीय रिजर्व बैंक एवं बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में बोर्ड को सूचित किया करेगी;
- (iii) हितों में किसी संभावित टकराव से बचने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर बैंकों के बोर्डों में निदेशक के रूप में अथवा किसी अन्य क्षमता में निवेश समिति में अथवा शेयर आदि में निवेश संबंधी निर्णय लेने अथवा शेयरों की जमानत पर अग्रिम प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल न हों ।

2.6 मूल्यांकन और प्रकटीकरण

बैंक के संविभाग में ईक्विटी शेयर - अग्रिमों के लिए प्राथमिक जमानत के रूप में अथवा संपादित जमानत के रूप में अथवा गारंटियों के निर्गम के लिए तथा निवेश के

रूप में - अधिमानतः दैनिक आधार पर परन्तु कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाये जाने चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे अपने तुलन-पत्र में “लेखा संबंधी टिप्पणी” में ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा ईक्विटी-अभिमुख म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों में किये गये कुल निवेशों को तथा शेयरों की जमानत पर दिये गये कुल अग्रिमों को दर्शायें।

2.7 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच परस्पर पूँजी धारिता

2.7.1 (i) अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले निम्नलिखित लिखतों में ब्कों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले ऐसे निवेश, जो निवेशिती बैंक /वित्तीय संस्था के लिए उसकी पूँजी-स्थिति के लिए पात्र हैं, निवेशकर्ता बैंक की पूँजीगत निधियों (टीयर I और टीयर II पूँजी को मिलाकर) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए :

- क. ईक्विटी शेयर;
- ख. पूँजी स्थिति के लिए पात्र अधिमान शेयर;
- ग. गौण ऋण लिखत;
- घ. मिश्र ऋण पूँजी लिखत; और
- ड. पूँजी के रूप में अनुमोदित कोई अन्य लिखत

(ii) यदि ऐसे अर्जन द्वारा निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की धारिता निवेशिती बैंक की ईक्विटी पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे बैंकों के ईक्विटी शेयरों में कोई नया निवेश न करें।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत धारित की गई अन्य बैंक में किसी बैंक/वित्तीय संस्था की ईक्विटी धारिताएं उपर्युक्त निर्धारित उच्चतम सीमा के दायरे के बाहर होंगी।

2.7.2 बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूँजी में किये गये निवेशों को, पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए उनकी टीयर I पूँजी से घटा दिया जाता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले लिखतों में किये जाने वाले निवेश, जिन्हें पैरा 7 (i) पर ऊपर उल्लिखित किया गया है, जिन्हें निवेशकर्ता बैंक /वित्तीय संस्था की टीयर I पूँजी से नहीं घटाया जाता है, पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों हेतु ऋण जोखिम के लिए 100 प्रतिशत जोखिम भार वाले माने जायेंगे।

2.8 मार्जिन अपेक्षाएं

क. पण्य बाजारों में बैंक का एक्सपोजर - मार्जिन अपेक्षाएं

विद्यमान अनुदेशों के मद्देनज्जर बैंक स्टॉक एक्सचेंज विनियमों के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले में शेयर तथा स्टॉक ब्रोकरों की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में गारंटियां जारी कर सकते हैं। इस प्रकार की गारंटियां जारी करते समय बैंकों को 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन प्राप्त करना चाहिए। बैंकों द्वारा जारी की गई ऐसी गारंटियों के संबंध में 25 प्रतिशत (उपर्युक्त 50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) का न्यूनतम नकद

मार्जिन रखनी चाहिए। उपर्युक्त 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन तथा 25 प्रतिशत (50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) के न्यूनतम नकद मार्जिन की अपेक्षा पण्य एक्सचेंज विनियमों के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले में पण्य ब्रोकरों की ओर से राष्ट्रीय स्तर के पण्य एक्सचेंज जैसे, नैशनल कमॉडिटी तथा डेरिवेटिव एक्सचेंज, (एनसीडीईएक्स), मल्टि कमॉडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएम) तथा नैशनल मल्टि कमॉडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीईआइएल) के पक्ष में बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटियों पर भी लागू होगी।

ख. मुद्रा डेरिवेटिव के संबंध में बैंक का एक्सपोज़र

मुद्रा डेरिवेटिव क्षेत्र के अंतर्गत ब्रोकरों के प्रति बैंक के एक्सपोज़र पर पूंजी बाजार एक्सपोज़र से संबंधित प्रावधान, जिनमें 50 प्रतिशत मार्जिन बनाए रखने तथा एक दिन के भीतर की निगरानी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, लागू नहीं होते हैं।

2.9 गैर जमानती गारंटियों और गैर जमानती अग्रिमों में एक्सपोज़र सीमाएं

2.9.1 यह अनुदेश कि "बैंक को गैर जमानती गारंटियों के अपने दायित्व इस प्रकार सीमित करने होंगे कि बैंक की बकाया गैर जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत और बकाया गैर जमानती अग्रिमों का योग कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो" वापस ले लिया गया है ताकि बैंकों के निदेशक मंडल गैरजमानती ऋण आदि जोखिमों के संबंध में अपनी स्वयं की नीति बना सकें। साथ ही, गैरजमानती ऋण आदि जोखिमों के मामले में दी गई छूटें भी वापस ले ली गई हैं।

2.9.2 दृष्टिकोण और कार्यान्वयन में एकम्पत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से "गैर-जमानती एक्सपोज़र ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित हैं जहां प्रतिभूति का वसूली मूल्य, बैंक/अनुमोदित मूल्यांकक/ रिजर्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार, आरंभ से ही बकाया एक्सपोज़र के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। एक्सपोज़र के अंतर्गत सभी निधिक और गैर-निधिक एक्सपोज़र (हामीदारी और उससे मिलती-जुलती वचनबद्धताओं सहित) शामिल होंगे। 'प्रतिभूति' का मतलब ऐसी गोचर प्रतिभूति होगा जो बैंक पर विधिवत् प्रभारित हो तथा इसके अंतर्गत गारंटी, कम्फॉर्ट लेटर जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी।

2.9.3 बैंक के प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में प्रकट करने हेतु बेजमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित

करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तपेषित परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंकों को संपार्शिक के रूप में दिये गये अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों आदि की गणना मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। तथापि बैंक सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-स्थानांतरण (बीओटी)

मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी को और जहां यातायात का एक सुनिश्चित स्तर हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना प्रायोजक को क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान हों उन मामलों में महसूल संग्रह अधिकारों को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं बशर्ते वार्षिकी प्राप्त करने तथा महसूल संग्रह करने के संबंध में बैंकों के अधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य और अप्रतिसंहरणीय हों ।

2.10 शेयरों डिबेंचरों आदि के सार्वजनिक निर्गमों के लिए ‘सुरक्षा-तंत्र’ योजनाएं

2.10.1 ‘सुरक्षा-तंत्र’ योजनाएं

रिजर्व बैंक ने यह देखा है कि कुछ बैंक / उनकी सहायक कंपनियां अपने व्यापारिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में कतिपय सार्वजनिक निर्गमों के संबंध में ‘सुरक्षा-तंत्र’ (सेफटी नेट) के नाम से पुनः क्रय (बाई-बैंक) सुविधा प्रदान कर रही हैं। ऐसी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी समय मूल निवेशकों से, विद्यमान बाजार मूल्य पर ध्यान दिये बिना निर्गम के समय पर निर्धारित मूल्य पर संगत प्रतिभूतियां खरीदने की वचनबद्धताओं से, बड़े एक्सपोजर ले लिये जाते हैं। कुछ मामलों में ऐसी योजनाएं उस कंपनी की ओर से, जिसके निर्गम इन योजनाओं में समर्थित होते हैं, बिना किसी अनुरोध के ही अपनी ओर से प्रस्तावित की जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप में जारीकर्ताओं की ओर से इन प्रतिभूतियों को खरीदने का कोई वचन नहीं होता है। इसके अलावा इन योजनाओं में जितना जोखिम होता है, उसके अनुपात में आय नहीं होती है, क्योंकि निवेशक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाओं का इस्तेमाल तभी करेगा जब इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से नीचे गिर जायेगा। अतः बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे ‘सुरक्षा-तंत्र’ की सुविधाएं प्रस्तावित न करें, भले इन सुविधाओं का नाम चाहे जो हो।

2.10.2 पुनः क्रय सुविधाओं का प्रावधान

कुछ मामलों में निर्गमकर्ता, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में एक वर्ष की अवरुद्धता अवधि के पश्चात् उनके द्वारा जारी डिबेंचरों में चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए मूल निवेशकों को 40,000 रुपये तक की पुनः क्रय (बाई बैंक) सुविधा प्रदान करते हैं। यदि निर्गमकर्ता के अनुरोध पर बैंक या उनकी सहायक कंपनियां यह आवश्यक समझे कि नये निर्गमों में अभिदान करने वाले छोटे निवेशकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाए, तो ऐसी पुनः क्रय (बाई बैंक) व्यवस्था में उक्त प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खरीदने की वचनबद्धता शामिल नहीं होनी चाहिए। शेयर बाजार के मौजूदा मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियों के लिए समय-समय पर मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए। वचनबद्धताएं राशि की दृष्टि से कुल निर्गम के एक सामान्य अनुपात तक सीमित भी की जानी चाहिए और बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों की स्वाधिकृत निधियं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वचनबद्धताएं समय-समय पर निर्धारित की गयी या निर्धारित की जानेवाली समग्र जोखिम सीमाओं के अधीन भी होंगी।

मूलभूत सुविधा उधार की परिभाषा और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल मदों की सूची ढडेखें पैराग्राफ 2.1.1.2

उधारदाताओं (अर्थात् बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) द्वारा किसी मूलभूत सुविधा के लिए किसी भी रूप में उपलब्ध कराई गई कोई ऋण सुविधा, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है, "मूलभूत सुविधा उधार" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में, किसी उधारकर्ता कंपनी को निम्नलिखित कामों में संलग्न कोई ऋण सुविधा :

- विकसित करना या
 - परिचालित करना और उसका रखरखाव करना, या
 - विकसित करना, परिचालित करना और उसका रखरखाव करना
- i. कोई सड़क जिसके अंतर्गत टोल रोड, कोई पुल या रेल प्रणाली शामिल होगी;
 - ii. कोई राजमार्ग परियोजना जिसके अंतर्गत राजमार्ग परियोजना के अंग के रूप में आने वाली अन्य गतिविधियाँ भी शामिल होंगी;
 - iii. कोई बंदरगाह, विमानपत्तन, देशी जलमार्ग या देशी बंदरगाह;
 - iv. कोई जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल शोधन प्रणाली, सफाई और मलजल प्रणाली या ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली;
 - v. दूर संचार सेवाएं, चाहे बेसिक या सेल्युलर, जिसके अंतर्गत पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवाएं (नामतः दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट), टेलीकॉम टॉवर्स, ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं ;
 - vi. कोई औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र ;
 - vii. पवन, बायोमास, लघू हाहड़ो, सौर (सोलार) आदि जैसे सभी नवीकरणयोग्य ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाओं सहित विद्युत का उत्पादन या उत्पादन और वितरण ;
 - viii. नई प्रेषण और वितरण लाइनों का नेटवर्क डालकर विद्युत का प्रेषण या वितरण;
 - ix. ऐसी परियोजना का निर्माण जिसमें कृषि संबंधी सामानों का प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए निविष्टियों की आपूर्ति शामिल हों ;
 - x. प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के परिरक्षण और भंडारण, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (जैसे फल, सब्जियाँ और फूल) से संबंधित निर्माण जिसके अंतर्गत गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएँ भी शामिल होंगी;
 - xi. शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण;
 - xii. गैस, कच्चा तेल, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन लगवाना तथा/अथवा उसका रखरखाव; इनमें नगर गैस वितरण नेटवर्क शामिल है।

xiii. इसी प्रकार की कोई अन्य मूलभूत सुविधा

अनुबंध 2

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची

(दूसरी पार्टी का जोखिम - कंपनियों के बांडों की गारंटी देने वाली संस्थाओं की सूची)
देखें पैराग्राफ 2.1.3.4

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
2. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड
3. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड
4. जोखिम पूँजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड
5. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लिमिटेड
6. विद्युत वित्त निगम लिमिटेड
7. राष्ट्रीय आवास बैंक
8. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
9. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
10. भारतीय रेलवेज वित्त निगम लिमिटेड
11. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
12. भारतीय निर्यात आयात बैंक
13. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनैंस कंपनी लिमिटेड
14. आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
15. इंडियन रिन्युएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की सूची

बैंकों द्वारा ईक्विटी / बांडों में निवेश - उन वित्तीय संस्थाओं की सूची
जिनके लिखतों को पूंजी बाजार एक्सपोज़र उच्चतम सीमा से छूट है
[देखें पैराग्राफ 2.3.4.(i)]

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
2. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड
3. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड
4. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लिमिटेड (टी डी आइ सी आइ)
5. राष्ट्रीय आवास बैंक
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
8. भारतीय निर्यात आयात बैंक
9. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
10. भारतीय जीवन बीमा निगम
11. भारतीय साधारण बीमा निगम

अनुबंध 4

मास्टर परिपत्र - ‘ऋण आदि जोखिम (एक्सपोज़र) संबंधी मानदण्ड’
परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1.	बैंपविवि. सं.डीआइआर. बीसी.	15/13.03.00/2009-10	01.07.2009
2.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	125/21.04.048/2008- 09	17.04.2009
3.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	125/21.04.048/2009- 10	12.02.2010
4..	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	96/08.02.014/2009- 10	23.04.2010
5.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		09.11.2009
6.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण		04.04.2010